



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252741
CG-DL-E-08032024-252741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1090]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का. आ. 1152(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इस आदेश को एस्वेस्टॉस अथवा फाइबर सीमेंट आधारित उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की समाप्ति के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग—नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इसके अलावा इस आदेश में से कुछ भी लघु उद्यम के संबंध में, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के खंड (ड) में यथा परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति तक लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में सूक्ष्म उद्यम के संबंध में भी, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) में यथा परिभाषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की समाप्ति तक कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी—इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
एस्वेस्टॉस अथवा फाइबरसीमेंट आधारित उत्पाद	459:1992	कॉरुगेटेड और सेमी-कॉरुगेटेड एस्वेस्टॉस सीमेंट शीट्स
	1592:2003	एस्वेस्टॉस सीमेंट प्रेशर पाइप्स और ज्वाइंट्स
	2096:1992	एस्वेस्टॉस सीमेंट फ्लैट शीट्स
	2098:1997	एस्वेस्टॉस सीमेंट बिल्डिंग बोर्ड
	6908:1991	एस्वेस्टॉस- सीमेंट पाइप्स एवं सीवेरेज तथा ड्रेनेज के लिए फिटिंग्स
	13000:1990	सीलिका- एस्वेस्टॉस- सीमेंट फ्लैट शीट्स
	8870:1978	एस्वेस्टॉस सीमेंट केवल कॉन्क्रीट और ट्रॉप्स
	9627:1980	एस्वेस्टॉस सीमेंट प्रेशर पाइप्स (लाइट ड्यूटी)
	13008:1990	शैलो कॉरुगेटेड एस्वेस्टॉस सीमेंट शीट्स
	14862:2000	फाइबर सीमेंट फ्लैट शीट्स
	14871:2000	फाइबर रिइन्फोर्सड सीमेंट प्रोडक्ट- रूफिंग और क्लैडिंग के लिए लॉन्ग कॉरुगेटेड अथवा एसिमेट्रिकल सेक्शन शीट्स तथा फिटिंग्स

नोट - इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-31032/16/2023-सीमेंट]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1152(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Asbestos or Fibre Cement based Products (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to small enterprises, as defined under clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of nine month from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to micro enterprises, as defined under clause (h) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), till the expiry of twelve month from the date of publication of this notification:

3. Certification and enforcement authority—The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for contravention—Any person who contravenes any of the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods and Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Asbestos or Fibre Cement based Products	459:1992	Corrugated and Semi - Corrugated Asbestos Cement Sheets
	1592:2003	Asbestos Cement Pressure Pipes and Joints
	2096:1992	Asbestos Cement Flat Sheets
	2098:1997	Asbestos Cement Building Boards
	6908:1991	Asbestos - Cement Pipes and Fittings for Sewerage and Drainage
	13000:1990	Silica-Asbestos-Cement Flat Sheets
	8870:1978	Asbestos Cement Cable Conduits and Troughs
	9627:1980	Asbestos Cement Pressure Pipes (Light Duty)
	13008:1990	Shallow Corrugated Asbestos Cement Sheets
	14862:2000	Fibre Cement Flat Sheets
	14871:2000	Fibre Reinforced Cement Products – Long Corrugated or Asymmetrical Section Sheets and Fittings for Roofing and Cladding

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-31032/16/2023-CEMENT]

SANJIV, Jt. Secy.